संशोधन आदेश

संख्या- 68 / 2023 / 575 / चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 22 फरवरी, 2023

विषय:- लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान के कक्षो के जीर्णोद्धार आदि कार्यो हेतु प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक शासनादेश संख्या-44/2023/415/चार-2023, दिनांक 08 फरवरी, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-44/2023/415/चार-2023, दिनांक 08 फरवरी, 2023 के प्रस्तर-4 में 'स्वीकृत धनराशि आहरित कर लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी जिसके द्वारा नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।' के स्थान पर 'स्वीकृत धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा आहरित कर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी', पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश संख्या-44/2023/415/चार-2023, दिनांक 08 फरवरी, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 68 /2023 / 575 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in